UPBL010013042018

न्यायालय Additional District and Sessions Judge - 1, Ballia
पीठासीन अधिकारी– (Sri Punit Kumar Gupta), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06114**
सत्र परीक्षण सं0–102/2015

राज्य   अभियोजन

बनाम

1– सुरेन्द्र यादव पुत्र नगीना यादव

2– अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव

साकिनान– ककरघट्टा, थाना मनियर, जिला बलिया ।   –––अभियुक्तगण

मु0 अ0 सं0 489/2016
धारा–60(2)/63 आबकारी अधिनियम
व धारा 272,272 भा.द.स.
थाना– मनियर, जिला बलिया।

<u>निर्णय</u>

1– सत्र परीक्षण संख्या 102/2015 राज्य बनाम सुरेन्द्र यादव अ0सं0–489/2016 अन्तर्गत धारा–60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा–272,273 भा.द.स. में अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव एवं अजय यादव का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि –

'' दिनांक 09.10.2016 को वादी मुकदमा एस.आई. विनोद कुमार यादव, एस.आई. राणा प्रताप सिंह मय हमराहियान के विनावर तलाश वाछिंत अपराधी व रोक थाम अपराध व अवैध शराब के निर्माण रोक थाम में क्षेत्र में मानूर था कि जरिए मुखबिर बास सूचना मिली की ग्राम ककर घट्टा बास के सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व० राम नगीना यादव व उनके लड़के अजय यादव द्वारा भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब का निर्माण कर नदी में नाव पर भारी मात्रा में शराब लाद कर कही ले जाने के फिराक में है एव भट्टी जला कर अपमिश्रित शराब का निर्माण कर रहे है, यदि जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है एवं अवैध अप मिश्रित शराब की भारी मात्रा मे बरामदगी की जा सकती है इस सूचना पर विश्वास करके मैं मय हमराहियान, मुखबीर खास को साथ लेकर ग्राम ककरघट्टा खास से करीब आधा किमी पश्चिम दिशा में नंदी के किनारे दियरा क्षेत्र में पहुँचा तो मुखवीर खास ने नाव की तरफ इसारा करके बताया कि उसी नाव के पास जो आग जल रही है वही पर अपमिश्रित शराब का निर्माण किया जा रहा है एवं उसी नाव पर शराब भी लाद कर कही ले जाने के फिराक में है सारी बाते बताकर मुखवीर चला गया हम पुलिस वाले अपने को छिपते छुपाते हुए जलती हुई आग के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालो को अचानक देख कर सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व० राम नगीना यादव व अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ककर घट्टा खास थाना मनियर बलिया जिसमे

Digitally signed by PUNIT KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.15 09:35:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सुरेन्द यादव नाव पर बैठे थे व अजय यादव भट्ठी के पास बैठे थे भाग गये जिनको हम सब पुलिस वाले पहले से ही जानते पहचानते है मौके पर हम पुलिस वाले पहुँचे तो देखे कि ड्रम की चार भट्टियों जल रही है जिसमे प्रत्येक भट्ठी पर पतेली चढी हुई है जिसमे चुआनी से प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है जिसका एक सिरा प्लास्टिक के गैलने के अन्दर लगा हुआ है तथा नाव में देखने पर 50, 50 ली0 के 10 जरिकेन व 20, 20 लीटर के 81 जरिकेन तरल पदार्थ से भरा हुआ लदा हुआ है जिसके सभी ढक्कनो को खोल कर सुधा एवं सुंधाया गया तो उनमे से तीव्र शराब की गंध आ रही थी एवं रूप रंग बनावट स्थान आदि को देखकर भी कच्ची शराब है, माल मालूम हो रहा था तथा जलती हुई चार भट्टियों के जरिकेनों में भी करीब 20.20 ली० की कच्ची शराब से भरी जरिकैनो को नली से अलग किया गया तथा भट्ठी की आग को नदी के पानी से बुझाया गया तथा देखा गया कि पास में ही एक बोरी यूरिया 10 किलोंग्राम नमक, 5 किलोंग्राम, फिटकिरी, 2 किलोंग्राम, नौसाद भी अलग अलग पन्नियो में नमक, नौसादर फिटकरी एक प्लास्टिक के झोले में रखा हुआ है भट्टियो को चुआनी व पतेली से अलग अलग किया गया उपरोक्त सामानो चार अदद ड्रम की भट्ठी चार चुआनी चार अदद प्लास्टिक की नलकी, एक कुप्पी, तथा 4 पतेली व भट्ठी के पास से चार अदद जरिकेन व नाव तथा नाव मे लदा 20, 20 ली0 के 81 जिरकेन व 50.50 ली0 के 10 अदद गैलनो को व यूरिया, नमक, नौसादर, फिटकीरी आदि सामानो को समय करीब 6.30 ए.एम. बजे वाजाप्ता वाकाय दो कब्जा पुलिस में लिया गया तथा सभी जरिकेनो मे से बतौर नमुना शराब थोडी थोडी शराब 5 ली0 के जरीकेन में लिया गया तथा यूरिया की एक बोरी से एक पन्नी में करीव 2 ग्राम यूरिया, 1 ग्राम नमक, 1/2 ग्राम फिटकरी 2.50 ग्राम नौसादर को निकाल कर अलग– अलग पन्नियों में बांध कर एक प्लास्टिक के झोले में बतौर नमूना रखकर झोले का मुह बांध कर सील सर्व मुहर कर नमुना मुहर तैयार किया गया तथा सभी जरिकेनों के ढक्कनों को बंद कर सफेद कपडो से बाध कर सील सर्व मुहर कर नमुना मुहर तैयार किया गया तथा नाव काफी बडी व भारी है नदी में है मौके पर ही ग्राम कक्कर घट्टा के सुर्वेदार यादव पुत्र स्व० श्री किसुन यादव थाना मनियर वलिया आ गये है माल नाव से निकाल कर नाव को सुपुर्दगी मे दिया गया फर्द मौके पर लिख कर पढ़कर सुना कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनबाये जा रहे है अभियुक्त गणों का यह कार्य धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व 272/273 भा.दं.सं. का अपराध है मौके पर लहन, व शेष न्यूरिया, नमक आदि को नष्ट किया गया।।''

3– वादी की लिखित तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना–मनियर, जिला– बलिया, अपराध संख्या–489/2016 में अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव एवं अजय यादव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273 भा.द.स. का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4– इस मामले की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर, नक्शा–नजरी तैयार किया, समस्त विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचक द्वारा उपरोक्त

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272,273 भा.द.स. के अन्तर्गत जुर्म बखूबी साबित पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– विद्वान सिविल जज सी०डि०/एफ०टी०सी०,बलिया द्वारा दिनांक 05.05.2018 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत आरोप अपराध अन्तर्गत धारा– 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा–272,273 भा.द.स. सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया, जहॉ से यह प्रकरण अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

6– विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दि0 18.05.19 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा–272,273 भा.द.स. विरचित किया गया। अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मॉग की गयी।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत किये गये है।

1	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–2
3	कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–3
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क–4
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5

8– अभियोजन पक्ष की ओर से अपना मामला सिद्ध करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में 5 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

1	विनोद कुमार यादव	पी०डब्लू०1
2	हे०का०सुरेन्द्र विश्वकर्मा	पी०डब्लू०2
3	राजेश कुमार यादव	पी०डब्लू०3
4	से०नि०उ०नि०लालमुनि राम	पी०डब्लू०4
5	उ०नि० रामअवध	पी०डब्लू०5

9(1)– साक्षी **पी.डब्लू.1 विनोद कुमार यादव** ने न्यायालय के समक्ष शपथ बयान दिया है कि –

'' मै दिनांक 09.10.2016 को एसआई. के पद पर थाना मनियर में कार्यरत था । उस दिन एस.आई. राणा प्रताप सिंह हमराह का० चन्द्रशेखर यादव का० एजाज खां का० धर्मराज सरोज का० राजकुमार गिरी के साथ तलाश वांछित अपराधी व रोकथाम अपराध व अवैध शराब निर्माण के रोकथाम में क्षेत्र में मासूर था कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली कि ककरघट्टा खास थाना मनियर जिला बलिया के सुरेन्द्र यादव व उनके लडके अजय यादव द्वारा भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब का निर्माण कर नदी मे नाव भारी मात्रा में शराब लाद कर कही ले जाने के फिराक में है एवं भट्टी जलाकर अपमिश्रित शराब का निर्माण कर रहे है । यदि जल्दी किया जाए तो पकडे जा सकते है । एवं अवैध अपमिश्रित शराब की भारी मात्रा में बरामदगी की जा सकती है । इस सूचना पर विश्वास करके हम सभी पुलिस वाले एवं मुखबीर को साथ लेकर ग्राम ककरघट्टा खास से करीब आधा किलोमीटर पश्चिम दिशा में नदी के किनारे दीयरा क्षेत्र में पहुंचा तो मुखबीर खास ने नाव की तरफ इशारा करके बताया कि उसी नाव के पास जो आग जल रहीं हैं । वही पर अपमिश्रित शराब का निर्माण किया जा रहा है एवं उसी नाव पर शराब भी लादकर ले जाने के

फिराक में है । सारी बाते बताकर मुखबीर चला गया । हम पुलिस वाले अपने को छिपाते –छिपाते हुए जलती हुई आग के पास पहुंचे तो हम पुलिस वालो को अचानक देकर सुरेन्द्र यापव व अजय यादव जिस पर सुरेन्द्र यादव नाव पर बैठे थे , व अजय यादव भट्ठी के पास बैठा था, भाग गये जिन को हम पुलिस वाले पहले से भी जानते पहचानते है । मौके पर हम पुलिस वाले पहुंचे तो देखा कि ड़म की चार भट्ठी या जल रही है जिस में चुआनी से प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ है जिस का एक सिरा प्लास्टिक के गैलेन के अन्दर लगा हुआ है, तथा नाव को देखने पर 50–50 लीटर के 10 जरकैन व 20–20 लीटर के जरकैन तरल प्रदार्थ से भरा हुआ था । जिस पर सभी ढक्कनो को खोलकर सुधा व सुधाया गया तो उनके से तीव्र शरा की गंध आ रही थी एवं रुप रंग बनावट आदि से भी देखकर पहचान किया गया कि तो भी कच्ची शराब मालूम हो रहा था , तथा जलती हुए चार भट्ठीयो के जरिकैन में भी 20–20 लीटर की कच्ची शराब से भरी है जरिकैन की नली से अलग किया गया तथा भट्ठी की आग को नदी के पानी से बुझाया गया तथा देखा गया कि पास में ही एक बोरी में 10 किलोग्राम नमक, पांच केजी फिटकरी, दो केजी नौसादर, भी अलग अलग प्लास्टिक के झोले में रखा हआ है भट्ठीयों को चुआनी व पाईम से अलग किया गया । उपरोक्त सामानो चार अदद ड़म की भट्ठी चार चुआनी, चार अदद प्लास्टिक की नलकी, एक अदद कुप्पी, चार पतेली व भट्ठी के पास चार अदद जरिकैन व नाव तथा नाव में लदा 20–20 लीटर के 81 जरिकैन व 50–50 लीटर के 10 अदद गैलन व नौसादर, नमक, फिटकरी, आदि सामानो को समय करीब 6.00 बजे ए०एम० कब्जा पुलिस में लिया गया तथा सभी जरिकैनो में से बतौर नमूना थोड़ी –थोड़ी शराब पांच लीटर के जरिकैन में लिया गया तथा यूरिया को को बारी से एक पन्नी में करीब दो किलोग्राम, यूरिया एक किलोग्राम, नमक आधा किलोग्राम, फिटकरी तथा 250 ग्राम नौसादर को अलग –अलग पन्नी में बांध कर एक प्लास्टिक के झोले में बतौर नमुना रख कर झोले का मुंह बांधकर सील मोहर किया गया था । सभी जरिकैन को ढक्कानो को बांधकर एक सफेद कपड़ो से बांधकर सील सर्व मोहर का नमुना तौयार किया गया था । मौके पर ही ग्राम ककरघट्टा खास के सुबेदार यादव आ गये थे । माल शराब नाव से निकाल कर नाव को उनकी सुपुर्दगी में दिया गया था तथा मौके पर ही लहन, यूरिया, नमक, फिटकरी आदि सामानो को रद्व किया गया । फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था । फर्द पत्रावली शामिल है । कागज सं० 4/6 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही फर्द है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर मेरे अलावा एस०आई० व हमराहियों के हस्ताक्षर बनवाये गयेद्व तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रर्दश क–1 डाला गया तथा अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव व अजय यादव के विरुद्व मुकदमा अ.स. 489/16 धारा–60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा–272, 273 भा.द.स. का मुकदमा पंजीकृत कराया । थाना मनियर के पैरोकार द्वारा आज माल नहीं लाया गया हैं । घटना के दिन अभियुक्तगण के कब्जे से 85 जरिकैन अपमिश्रित शराब व दो किलो यूरिया, एक किलो नमक, 250 ग्राम नौसादर, व 500 ग्राम फिटकरी बरामद हुआ था । वह बरामदशुदा माल बारिश, दिमक, व चूहा द्वारा नष्ट कर दिया गया है

। इस वजह से माल न्यायालय नहीं आ सका है । जिसकी रिपोर्ट व सम्बन्धित तस्कीरा जी.डी. थाना मनियर से आकर पत्रावली में शामिल हैं । ''

9(2)– साक्षी **पी.डब्लू.2 हे०का० सुरेश विश्वकर्मा** ने न्यायालय के समक्ष शपथ बयान दिया है कि–

दिनांक 09.10.16 को मै थाना मनियर पर का० के पद पर तैनात था । उस दिन एस.आई. विनोद कुमार यादव के साथ हमराही था । मेरे साथ हमराह का० चन्दशेखर यादव का० एजाज खां, का० धर्मराज सरोज आदि थे , व राणा प्रताप सिंह थे । उस दिन हम लोग क्षेत्र में थे । मुखबीर की सूचना पर कि ककरघट्टा खास के सुरेन्द्र यादव व उनका लड़का अजय यादव उपमिश्रित शराब निर्माण करके जरिए नाव शराब ले जा रहे हैं । इस सूचना पर हम सभी ककरघट्टा खास के घाट के करीब आधा किलोमीटर पश्चिम नदी के किनारे दियरा में मुखबीर के साथ पहुंचे । मुखबीर के इशारे पर हम सभी पुलिस वाले छिपते छिपाते हुए जलती हुई आग की भट्टी के पास पहुंचे तो अचानक हम लोगो को देखकर सुरेन्द्र यादव व अजय यादव दोनो भाग गये । जिसमें सुरेन्द्र यादव नाव मे बैठा था तथा उसका लड़का अजय यादव भट्टी के पास बैठा था । उन दोनो को हम लोगो ने पहले पहचानते थे । मौके पर हम लोग पहुंचे तो मौके पर ड्राम की भट्टीया जल रही थी । प्रत्येक पर पतीली चढ़ी हुई थी , और शराब बन रहा था । नाव पर 50–50 लीटर की 10 जरिकैन 20–20 लीटर की 81 जरिकैन तरल पदार्थ से भरा हुआ था । जो नाव पर भरा हुआ था जिससे ढक्कन सभी को खोलकर सुधा गया तो कच्ची शराब की गन्ध आ रही थी । चारो भट्टीयों से पतीली से नलकी लगाकर गैलन में प्लास्टिक के पाइप से जोड़ा गया था । जरिकैन में शराब कच्ची तैयार किया जा रहा था ।भट्टी में आग थी । पानी से बुझाया गया वही पास से एक बोरी यूरिया 10 किलो, नमक 5 किलो , फिटकरी 2 किलो , नौसादर पाया गया । सभी उपरोक्त सामान नमक, नौसादर, यूरिया, फिटकरी में से व बरामद 81 जरिकैन 20–20 लीटर व 10 गैलन 50–50 लीटर जिसमें कच्ची शराब भरी हुई थी । पुलिस कब्जा में लिया गया सभी जरिकैन में से थोड़ी–थोड़ी शराब एक पांच लीटर के जरिकैन में व यूरिया दो किलो, नमक एक किलो, फिटकरी आधा किलो, नौसादर ढाई ग्राम अलग–अलग पन्नीयों में बांधकर एक झोले में सील कर सर्वमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा सभी जरिकैन को ढक्कन को बन्द कर सफेद कपड़ो से बांधकर सील कर सर्व मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया । जलते हुए ड्रम के पास से बरामद चारो गैलन ढ़क्कन बन्द कर करीब 20–20 लीटर तरल पदार्थ था उसे भी सफेद कपड़ो में बांधकर सर्व मोहर किया गया तथा नाव ककरघट्टा खास के निवासी सुबेदार यादव मौके पर आ गयेथे । शराब उतार कर नाव उनके सुपुर्दगी में दिया गया, बरामदशुदा 10 गैलन 50–50 लीटर कच्ची शराब पुलिस कब्जा में लेकर फर्द मौके पर एस.आई. विनोद कुमार यादव द्वारा तैयार किया गया वहा उपस्थित सभी लोगो ने हस्ताक्षर किया था वह फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 पर अपना हस्ताक्षर देखकर गवाह ने बताया कि यह मेरा हस्ताक्षर है जिसकी मै तस्दीक करता हूँ । मुकदमें के विवेचक ने मेरा बयान लिया थाँ ''

9(3)– साक्षी **पी.डब्लू.3 का० राजेश कुमार यादव** ने न्यायालय के समक्ष शपथ बयान दिया है कि–

" मै दिनांक 09.10.16 को थाना मनियर में का०मु० के पद पर तैनात था उस दिन अपराध सं० 489/2016 धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा–272,273 भा.द.स.अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव व अजय यादव ककरघट्टा खास थाना मनियर के विरुद्व चिक एफ.आई.आर. सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर आने द्वारा टाइप किया व दर्ज किया । वह प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल पत्रावली में सामने है जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी संजय कुमार किा हस्ताक्षर है तस्दीक करता हूँ । जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया उसी समय कायमी जी.डी. मेरे साथ तैनात का० देवेन्द्र दूबे के द्वारा तैयार की गयी थी जिसकी कार्बन प्रति शामिल पत्रावली कागज सं० 7क/6 लगायत 7क/7 मेरे सामने है तस्दीक करता हूँ प्रदर्श क–3 डाला गया । विवेचक महोदय ने मेरा बयान लिया था ।

9(4)– साक्षी **पी.डब्लू.4 सेवा निवृत्त उपनिरीक्षक लालमुनि राम** ने न्यायालय के समक्ष शपथ बयान दिया है कि–

"मैं दिनांक–09.07.2017 को पुलिस लाईन बलिया से स्थानान्तरित होकर थाना मनियर पर अपना आमद कराया था। थाना मनियर पर पंजीकृत मु०अ०सं०–489/2016, अन्तर्गत धारा–60(2), 63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भा०दं०वि०, बनाम सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व० राम नगीना यादव, अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासीगण, ककरघट्टा खास, थाना मनियर जिला बलिया की विवेचना थाना में पेडिंग थी जिसकी विवेचना मैंने दिनांक–22.07.2017 को ग्रहण किया। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात मैंने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये सभी पचों का अवलोकन किया। जिसका उल्लेख पर्चा सं०–9 में मेरे द्वारा किया गया है तत्पश्चात दिनांक 07.10.2017 को मुकदमें से संबंधित माल का परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु, अनुस्मारक पत्र कार्यालय से प्राप्त हुआ था जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया था। जिसका उल्लेख पर्चा सं०–10 में किया गया है तथा दिनांक–31.10.2017 को मुकदमें के माल परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी से कार्यालय पर प्राप्त हुआ। जिसे कार्यालय से प्राप्त होने के उक्त परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर पूर्व विवेचक द्वारा किये गये तमाम विवेचना नकल चिक, नकल रपट, बयानात एफ०आई०आर० लेखक व गवाहन नक्शा नजरी, व बरामद शुदा माल परीक्षण रिपोर्ट के अवलोकनोपरान्त अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव व अजय यादव के विरूद्ध जुर्म धारा–60(2), 63 आबकारी अधिनियम व 272,273 भा०दं०वि० का अपराध होना साबित पाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। उक्त आरोपपत्र को सी०सी०टी०एन०एस० पर बोलकर लिखाया था उस पर अपना हस्ताक्षर कर प्रेषित किया था। मेरे द्वारा प्रेषित आरोप पत्र शामिल मिसिल कागज सं०–3क/1 ता 3क/4 मेरे समक्ष है जिस पर मेरा व तत्कालीन थाना प्रभारी का हस्ताक्षर है जिसकी मैं तस्दीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

9(5)– साक्षी **पी.डब्लू.5 उपनिरीक्षक श्री रामअवध** ने न्यायालय के समक्ष शपथ बयान दिया है कि–

मैं दिनांक 09.10.2016 को थाना मनियर जनपद बलिया पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात थाए उस दिन फर्द बरामदगी 2200 लीटर कच्ची व अपमिश्रित शराब, यूरिया, नौसादर, नमक, फिटकरी व शराब बनाने के उपकरण व एक अदद नाव की बरामदगी के बावत उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव थाना मनियर जनपद बलिया द्वारा थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 489/2016 अन्तर्गत धारा 60 (2) व 63 आबकारी अधिनियम व धारा 272 ए 273 भा०दं०सं० बनाम सुरेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामनगीना यादवए व अजय यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासीगण ककरगट्टा खास थाना मनियर जिला बलिया के विरूद्ध मुकदमा 09.10.2016 को समय 09.45 बजे पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मुझे विवेचक नामित कर नकल चिकए नकल रपट व अन्य दिगर कागजात विवेचना हेतु थाना कार्यालय से प्राप्त कराया गया था। मेरे द्वारा विवेचना ग्रहण करने के पश्चात दिनांक 09.10.2016 को पर्चा संख्या.1 किता किया गया था । जिसमें मेरे द्वारा नकल चिकए नकल रपट व बयान लेखक एफ०आई०आर० का० मुहर्रिर राजेश कुमार यादव का अंकित किया तथा नकल सुपुर्दगीनामा नाव जो मुकदमा अपराध संख्या.489 ध्16 से सम्बन्धित थी का नकल कर संलग्न सी०डी० किया तथा मुकदमे के वादी उपनिरीक्षक विनोद कुमार यादव को थाने पर मौजूद पाकर उनका बयान व फर्द के साक्षी उपनिरीक्षक श्री राणा प्रताप सिंह का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किया, तत्पश्चात् वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया व मुताबिक मौका मौके का एक नक्शानजरी तैयार किया था। वह नक्शानजरी आज मेरे सामने सामिल मिसिल कागज संख्या.5 क है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है । तसदीक करता हूँ जिस पर प्रदर्श का डाला गया। जिसका विस्तृत विवरण मेरे द्वारा पर्चा संख्या.1 में किया गया है। दिनांक 15.10.2016 को मेरे द्वारा पर्चा संख्या.2 किता किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा फर्द के गवाह का० सुरेश विश्वकर्मा व का० एजाज खॉ का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित किया , तथा अभियुक्तगण के घर दबिश दी गयी तथा मुखबिर खास को उनकी गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी पतारसी हेतु मामूर किया गया। दिनांक 19.10.16 को पर्चा संख्या.3 किता किया गया, जिसमें मेरे द्वारा थाना कार्यालय अभियुक्तगण की हाजिरी की सूचना प्राप्त हुयी जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया तथा थाना परिसर में मौजूद मिले फर्द के गवाह का० चन्द्रशेखर यादव व का० राजकुमार गिरी व का० धर्मराज सरोज का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० अंकित कियाए जिसका विस्तृत विवरण मेरे द्वारा पर्चा संख्या.3 में अंकित किया गया है।दिनांक 30.10.2016 को मेरे द्वारा पर्चा संख्या.4 किता किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा मुकदमे से सम्बन्धित माल को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था, उक्त की प्राप्ति रसीद डाकेट संख्या.3308/16 दिनांकित 20.10.2016 प्राप्त हुआ था। जिसका अवलोकन कर संलग्न सी०डी० किया व थाने से प्रस्थान कर अभियुक्तगण के घर पहुँचाए जहाँ अभियुक्तगण मौजूद मिले

जिसमें अभियुक्त सुरेन्द्र यादव व अजय यादव का बयान अंकित किया गया। तदोपरान्त मेरा स्थानान्तरण हो गया था।

10–– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त का बयान दं0 प्र0 सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.1 के बयान के सम्बन्ध में झूठा बयान दिए जाना तथा गलत ढ़ग से प्रदर्श साबित किया जाना बताया है, पी.डब्लू.2 के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि झूठा बयान दिया जाना बताया है। पी.डब्लू.3 के बयान के सम्बन्ध में झूठा बयान दिए जाना तथा गलत ढ़ग से प्रदर्श साबित किया जाना बताया है, पी.डब्लू.4 के बयान के सम्बन्ध मे झूठा बयान दिए जाना तथा गलत ढ़ग से प्रदर्श साबित किया जाना बताया है। पी.डब्लू.5 के बयान के सम्बन्ध मे झूठा बयान दिए जाना तथा गलत ढ़ग से प्रदर्श साबित किया जाना बताया है। मुकदमा शत्रुतावशं चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य नही देना है, का कथन किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि केवल शराब पीने हेतु रखी थी पुलिस द्वारा शत्रुता के कारण बढ़ाचढा कर मुकदमा लिख दिया है इस लिए कथित बरामदशुदा शराब को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

11– मैंने राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11– मैंने राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परिशीलन किया।

12– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा तथा अन्य अभियोजन साक्षीगण द्वारा फर्द बरामदगी को साबित किया है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य में किये गये कथनो में कोई मूलभूत विरोधाभाष नहीं है, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें प्लास्टिक जरीकैन के द्रव में विश्लेषण द्वारा ईथाइल अल्कोहल पाया गाय । नमूने में अल्कोहल की मात्रा 37.02 प्रतिशत आयतन/ आयतन पायी गयी । नमूने में यूरिया, नौसादर, नमक, फिटकरी के परीक्षण परिणाम सकारात्मक पाये गये। नमूने में डिनेचरेन्ट्स मिथाइल अल्कोहल व क्लोरल हाइड्रे ट के परीक्षण नकारात्मक पाये गये । अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो के अपराध को युक्ति युक्त संदेह के परे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है । इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया जाये।

13– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया है कि फर्द बरामदगी को विधिक रूप से प्रमाणित कर साबित नहीं किया गया है और पुलिस कर्मी की रवानगी एवं डियूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

है। अपराध के गठन के लिए बताये गये आवश्यक शर्तो की पूर्ति अभियोजन साक्षियों के कथन से नहीं हो रही है । अभियुक्तगण के कब्जे से कोई माल बरामद नहीं हुआ है, बरामद माल को विधि अनुसार साबित नहीं है तथा जिस सील से माल को सील किया गया था उसका कोई नमूना सील साबित नहीं कराया गया है, न ही उक्त सील को न्यायालय के समक्ष पेश कर साबित कराया गया । शराब विक्रय किये जाने के सम्बन्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है तथा उसके अपमिश्रित होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है, अभियुक्तगण के पास से बरामदगी संदिग्ध है,जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। थाना मनियर की रिपोर्ट कागज सं0 24 ख में यह उल्लेख किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त का माल मुकदमाती चूहा वारिस, व दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है जो न्यायालय में प्रस्तुत करने योग्य नहीं है । जिसके आधार पर अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जा सकता है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय में पेश कर साबित नहीं करायी गयी है । इसलिए अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को अभियोजन पक्ष द्वारा युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है अतः संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जाये।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन करते हुए अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पुलिस कर्मी की रवानगी और फर्द बरामदगी साबित है साक्षियों के कथन में कोई विरोधाभाष नहीं है। इस लिए अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपो के अपराध को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराधो के लिए दोषसिद्ध किया जाये।

15– प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से यह देखा जाना है कि अभियोजन पक्ष अपना केस एवं अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है, अथवा नहीं,

16– बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि फर्द बरामगी विधिक रूप से प्रमाणित कर साबित नहीं किया गया है जबकि फर्द बरामदगी पर जनता के स्वतन्त्र साक्षी के हस्ताक्षर नहीं है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त तर्क का खण्डन करते हुए यह कहा गया कि जनता के साक्षियों के बुलाने का प्रयास किया गया, परन्तु भलाई–बुराई के कारण कोई जनता के साक्षी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए फर्द बरामदगी पर जनता के साक्षियों के हस्ताक्षर नहीं कराये जा सके।

17– विधि का यह सामान्य सिद्धान्त नहीं है कि सदैव जनता के साक्षियों का साक्ष्य कराया जाये, परन्तु मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर कहीं–कहीं यह आवश्यक हो जाता है कि जनता के साक्षी अवश्य होने चाहिए और अभियोजन को जनता के साक्षियों के हस्ताक्षर न करने का स्पष्ट कारण उनके नाम, पिता का नाम, व निवास आदि का विवरण देते हुए एक मेमो तैयार करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो केवल पुलिस साक्षी बनाये गये हों तब अभियोजन कथानक अविश्वसनीय माना जायेगा।

18– पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध फर्द बरामदगी कागज सं0 4क/6 प्रदर्श क1 है जिसके अवलोकन से यह विदित है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क1 को अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.1 द्वारा प्रमाणित कर साबित किया गया है । परन्तु इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी है इस साक्षी ने जिरह में थाने से रवानगी के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है कि हम पुलिस के लोग घटना स्थल पर लगभग डेढ़ धण्टे रुके थे । अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि हम पुलिस वाले दो धण्टे तक रुके थे । उसके बाद थाने के लिए प्रस्थान कर गये । अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षीगण ने न ही अपनी मुख्य परीक्षा में न ही जिरह में यह कथन किया गया है कि उनकी रवानगी थाने से कब कितने बजे हुई थी अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि उनकी रवानगी थाने से कब और कितने बजे हुई थी।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य है कि वादी मुकदमा द्वारा अपने जिरह में कथित घटना से कस्बे की दूरी और दिशा बताने में असमर्थ रहा है। जिससे उसकी उसकी वहां पर मौजदूगी और बरामदगी संदिग्ध है उक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है क्योकि पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा का मुख्य साक्षी है और जिसके निशान देही पर नक्शा नजरी प्रदर्श क5 विवेचक द्वारा निर्मित किया गया और विवेचक द्वारा घाघरा नदी के किनारे नाव पर घटना स्थल दर्शाया है परन्तु पी.डब्लू.1 द्वारा अपनी जिरह में कथन किया है कि ''उक्त माल घाघरा नदी में नाव से बरामद हआ था । अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 ने भी अपनी जिरह में कथन किया है कि उक्त माल घाघरा नदी में नाव से बरामद हुआ था । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वादी मुकदमा द्वारा कही भी अपने बयानो में किसकी सील मोहर से कथित माल सील मुहर किया गया इसका उल्लेख नहीं किया गया है तथा सील मुहर का कोई नमुना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे की कथित माल सील का मिलान किया जा सकें जो किसी बरामदगी को साबित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए भी बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण के कब्जे से कोई माल बरामद नहीं हुआ था न ही मौके से पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था । जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सं० 1 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि इस मुकदमें की गिरफ्तारी में कोई भी अभियुक्तगण मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ था ।अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना स्थल पर किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई थी । पुलिस वालो को देखकर अभियुक्तगण भाग गये थे घटना स्थल पर अभियुक्तगण को नहीं पहचाने थे नाव से नहीं पहचाने थे । जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मौके से कोई यूरिया, फिटकरी बरामद नहीं हुई थी और जनता का कोई साक्षी नहीं बनाया गया था। यह भी तर्क है कि बरामदशुदा जरीकैन के मुंह पर सील होना कहा गया है परन्तु किसकी सील थी उसका उल्लेख नहीं किया गया

है कि जिस व्यक्ति को नाव को सुपुर्दगी में दिया जाना कहा जा रहा है उसे साक्षी के रुप में परीक्षित नहीं कराया गया है, उक्त तर्क स्वीकार होने योग्य है क्यो कि मौके से अपमिश्रित होना कहा गया परन्तु मौके से कोई यूरिया फिटकरी नौसादर बरामदी का कथन किया गया है जिसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी भेजा गया परन्तु यूरिया, नौसादर, नमक, एवं फिटकरी को न्यायालय के समक्ष पेश कर साबित नहीं कराया गया है , थाना मनियर की रिपोर्ट कागज सं0 24 ख के अनुसार मुकदमा उपरोक्त का माल मुकदमाती चूहा वारिस, व दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है जो न्यायालय में प्रस्तुत करने योग्य नहीं है तथा कोई उपकरण मौके से शराब बनाने का पेश नहीं किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि मौके से अभियुक्तगण गिरफ्तार नहीं हुए है तथा फर्द में भागे जाने वाले अभियुक्त की कोई शरीक गठन की कोई शिनाख्थ पत्रावली पर नहीं है उक्त तर्क स्वीकार होने योग्य नही है मात्र अभियुक्तगण दूर से देखकर पहचाने के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है तथा उक्त फर्द में भागे जाने वाले अभियुक्त के शरीर गठन का कोई शिनाख्थ नहीं किया गया है न ही करायी गयी है, अभियोजन साक्षी सं1 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि हम पुलिस के लोग अभियुक्तगण को 10 मीटर की दूरी से देखे थे । अभियुक्तगण झाड़ मे भाग गये थे । अभियोजने साक्षी सं2 ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना स्थल पर अभियुक्तगण को नहीं पहचाने थे नाव को न नही पहचाने थे । इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है । जिससे उपरोक्तानुसार उनके मौके से भागे जाने और अपराध में संलिप्तता पर संदेह उत्पन्न होता है ।

अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि अभियुक्त के कब्जे से बरामद शराब अपमिश्रित थी और उसे विक्रय के लिए रखा था और विक्रय कर रहा था। पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश रामनगर वाराणसी की रिपोर्ट दिनांक 27.10.17 है जिसमें परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम यह है कि इथाइल एल्कोहल पाया गया डिनेचरेन्ट्स मिथाईल अल्कोहल एल्कोहल व क्लोरल हाइड्रेट का परीक्षण नकारात्मक पाया गया जिससे यह प्रमाणित है कि परीक्षण हेतु भेजा गया नमूना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं था क्योकि जीवन के लिए हानिकारक पदार्थ मिथाइल एल्कोहल नमूने में नहीं पाया गया यहा यह भी उल्लेख है कि मानव जीवन के लिए हानिकारक की रिपोर्ट नहीं दी गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माल को न्यायालय के समक्ष पेश कर साबित नहीं कराया गया है यहां यह भी उल्लेखनीय है उक्त फर्द बरामदगी उपरोक्तानुसार संदिग्ध है इसलिए विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का कोई विशेष महत्व प्रस्तुत मामले में नही रह जाता है।

19– इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 60(2)/63 आबकारी अधिनियम व धारा 272, 273, भा.द.स. के आरोप को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है।

20– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों, तथा अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षीगण की साक्ष्य तथा अन्य सुसंगत तथ्यों का सम्यक रूपेण अवलोकन एवं परिशीलन करने के पश्चात् न्यायायलय इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध लगाये गये गये आरोप अन्तर्गत धारा–60 आबकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत धारा–272, 273, भा0 दं0 सं0 युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा–60(2)/63 आबकारी अधिनियम एवं धारा–272, 273, भा0 दं0 सं0 के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>– आदेश–</u>

सत्र परीक्षण संख्या–102/2018 राज्य बनाम सुरेन्द्र यादव अ0 सं0–489/2016 में अभियुक्तगण सुरेन्द्र यादव, अजय यादव, के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा– 60(2)/63 आबकारी एक्ट व धारा–272, 273, भा0 दं0 सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उसके व्यक्तिगत बन्ध पत्र व जमानत पत्र निरस्त करके, जमानतदारों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण के द्वारा धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में मु0–20,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू यथाशीघ्र दाखिल करना सुनिश्चित करें, जो नियमानुसार दी गयी अवधि तक वैध रहेंगे।

दिनांक 08.06.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, बलिया।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके, सुनाया गया।

दिनांक 08.06.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, बलिया।

नीरज सिंह, आशुलिपिक